रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1935] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2015/भाद्र 20, 1937
No. 1935] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2015/BHADRA 20, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2015

का.आ. 2472(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2969(अ) दिनांक 25 सितंबर, 2013 में निम्नलिखित रूप से संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ 1 में " वी मनिकंडन सक्षम अधिकारी, भूमि अर्जन अधिकारी, तमिलनाडू राज्य, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्त पर नियुक्त पैट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाओ के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय, प्लॉट न. 14, जयप्रकाश स्ट्रीट, वी जी पी नगर, राजाजीपुरम, तिरुवल्लूर, 602001(तमिलनाडू)" शब्द के स्थान पर " थिरू एस पी मधुसूदनन, सक्षम अधिकारी, भूमि अर्जन अधिकारी, तमिलनाडू राज्य, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्त पर नियुक्त, सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय, प्लॉट न. 14, जयप्रकाश स्ट्रीट, वी जी पी नगर, राजाजीपुरम, तिरुवल्लूर,602001 (तमिलनाडू)", शब्द रखे जाएगे |

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी |

[फा. सं. आर.-25011/14/2012-ओ.आर.-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2015

S.O. 2472(E).—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. No. 2969 (E) dated 25.09.2013, published in Gazette of India on 01.10.2013 namely:-.

In the said notification, in the schedule, for the words " V.Manikandan, Competent Authority, Land acquisition Officer on deputation to Indian Oil Corporation Limited, For Petroleum Pipeline Projects, Indian Oil Corporation Ltd, Office of the Competent Authority, Plot No. 4, Jayaprakash Street, V.G.P. Nagar, Tiruvallur – 602001 (Tamil Nadu) " the words "Thiru S.P. Madhusudanan, Competent Authority, Land acquisition Officer on deputation to Indian Oil Corporation Limited, For Petroleum Pipeline Projects, Indian Oil Corporation Ltd., Office of the Competent Authority, Plot No. 4, Jayaprakash Street, V.G.P. Nagar, Tiruvallur – 602001 (Tamil Nadu)" shall be substituted.

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-25011/14/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.